

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS**

**LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 230  
TO BE ANSWERED ON 07.12.2022**

**SENIOR CITIZEN CONCESSION**

**230. SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU:  
SHRI S. VENKATESAN:  
SHRI RAJMOHAN UNNITHAN:  
SHRI PALLAB LOCHAN DAS:**

**Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:**

- (a) whether the Parliamentary Standing Committee in its report on 4th August 2022 has recommended for restoration of senior citizen concession to railway passengers for sleeper class and third AC passengers urgently as passenger traffic is nearing normalcy;**
- (b) if so, the reasons for non-resumption of senior citizen concessions for Railways despite the easing of the COVID-19 pandemic;**
- (c) whether it is true that the age limit of the senior citizens has increased from 60 years to 70 years and the reservation process is restricted to second sleeper class only, if so, the reasons therefor;**
- (d) the Government's assessment of how discontinued concessions is likely to affect the number of senior citizens travelling;**
- (e) whether the Government is aware of how this decision is likely to impact the savings of senior citizens and the if so, the details thereof;**
- (f) whether private Airlines are also extending senior citizen concession to air passengers;**
- (g) if so, whether the Railways will accept the recommendations of the Standing Committee and restore passenger concession to senior citizens to increase passenger earnings in view of 63 lakh senior citizens who avoided journey without such concessions;**
- (h) whether the Government is also planning to resume concession fare Railway tickets for students and sportspersons as well and if so, the details thereof; and**
- (i) whether the concession is to be restored to reserved and unreserved second class passengers also and if so, the details thereof?**

**ANSWER**

**MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND  
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY**

**(SHRI ASHWINI VAISHNAW)**

**(a) to (i): A Statement is laid on the Table of the House.**

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (i) OF UNSTARRED QUESTION NO.230 BY SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU, SHRI S. VENKATESAN, SHRI RAJMOHAN UNNITHAN AND SHRI PALLAB LOCHAN DAS TO BE ANSWERED IN LOK SABHA ON 07.12.2022 REGARDING SENIOR CITIZEN CONCESSION**

**(a): Standing Committee on Railways has advised to review and consider concession to senior citizens at least in sleeper class and 3AC.**

**(b): Government gave subsidy of ₹59,837 crore on passenger tickets in 2019-20. This amounts to concession of 53% on an average, to every person, travelling on Railways. This subsidy is continuing for all passengers. Further concessions beyond this subsidy amount are continuing for many categories like Divyangjans, students and patients.**

**(c): No such instruction has been issued.**

**(d) & (e): Railways operate different types of train services like Garib Rath, Rajdhani, Shatabdi, Duronto, Vande Bharat, Gatimaan, Tejas, Humsafar, Mail/Express, Ordinary passenger etc. Apart from this different classes 1<sup>st</sup> AC, 2<sup>nd</sup> AC, 3<sup>rd</sup> AC, AC Chair Car, sleeper class, second class reserved/Unreserved etc are available on different fare structures for the use of passengers including Senior citizens who can travel as per their preferences.**

**(f): Directorate General of Civil Aviation has not issued any guideline/ circular with regard to providing any concession to senior citizens in air travel.**

**(g) to (i): As already mentioned in the reply to Part (b) above.**

**\*\*\*\*\***

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

07.12.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 230 का उत्तर

वरिष्ठ नागरिक रियायत

230. श्री रघु राम कृष्ण राजू:  
श्री एस. वेंकटेशन:  
श्री राजमोहन उन्नीथन:  
श्री पल्लब लोचन दास:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संसदीय स्थायी समिति ने 4 अगस्त 2022 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यात्री यातायात के लगभग सामान्य होने को देखते हुए शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी यात्रियों के लिए रेल यात्रियों हेतु वरिष्ठ नागरिक रियायत तत्काल बहाल करने की सिफारिश की है;
- (ख) यदि हां, तो कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव कम के बावजूद रेलवे के लिए वरिष्ठ नागरिक रियायतों को फिर से शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है और आरक्षण प्रक्रिया केवल शयनयान द्वितीय श्रेणी तक ही सीमित है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है, कि रियायत बंद करने से यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या पर कितना प्रभाव पड़ेगा;
- (ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय से वरिष्ठ नागरिकों की बचत पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या निजी विमान कंपनियां भी हवाई यात्रियों को वरिष्ठ नागरिकों की छूट प्रदान कर रही है;
- (छ) यदि हां, तो क्या रेलवे स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगा और 63 लाख वरिष्ठ नागरिकों, जिन्होंने ऐसी रियायतों के बिना यात्रा नहीं की है, को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्री रियायत बहाल करेगा, ताकि यात्री आय में वृद्धि की जा सके;
- (ज) क्या सरकार छात्रों और खिलाड़ियों के लिए भी रियायती रेल टिकटों को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (झ) क्या यह रियायत आरक्षित और अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को भी बहाल की जानी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

वरिष्ठ नागरिक रियायत के संबंध में दिनांक 07.12.2022 को लोक सभा में श्री रघु राम कृष्ण राजू, श्री एस. वेंकटेशन, श्री राजमोहन उन्नीथन और श्री पल्लब लोचन दास के अतारांकित प्रश्न सं. 230 के भाग (क) से (झ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेलों संबंधी स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को कम-से-कम शयनयान श्रेणी और 3एसी में रियायत देने की समीक्षा करने और उस पर विचार करने की सलाह दी है।

(ख): सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रु. की सब्सिडी दी। यह भारतीय रेल पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53 प्रतिशत रियायत के बराबर है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इस सब्सिडी राशि के अलावा और कई रियायतें अनेक श्रेणियों जैसे दिव्यांगजनों, छात्रों और रोगियों को दी जा रही है।

(ग): ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): रेलवे गरीब रथ, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, गतिमान, तेजस, हमसफर, मेल/एक्सप्रेस, साधारण पैसेंजर आदि जैसी विभिन्न प्रकार की गाड़ी सेवाएँ परिचालित कर रही है। इन विभिन्न श्रेणियों के अलावा, 1 एसी, 2 एसी, 3 एसी, एसी चेयर कार, शयनयान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी आरक्षित/अनारक्षित आदि की विभिन्न श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों सहित यात्रियों के उपयोग के लिए विभिन्न किराया संरचनाएं उपलब्ध हैं, जो अपनी पसंद के अनुसार यात्रा कर सकते हैं।

(च): नागर विमानन महानिदेशक ने हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की रियायत देने के संबंध में कोई दिशानिर्देश/परिपत्र जारी नहीं किया है।

(छ) से (झ): जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में पहले ही उल्लेख किया गया है।

\*\*\*\*\*